Sl. No 6(R)

R-20088/05/DM)

सं0.39/15/2013-डी0एम0.III-RTI
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(डी0एम0 प्रभाग)

***

बी विंग, ततीय तल, एन,डीसीसी-II भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 22.11.2013

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री देवी प्रसाद नन्द के आवेदन पत्र का हस्तान्तरण ।

कृपया श्री देवी प्रसाद नन्द के आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2013 में संलग्न पत्र दिनांक 12.07.2013 में मांगी गई सूचनाए उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकतिक आपदा के सम्बन्ध में हैं जो आप के प्रभाग से सम्बन्धित हैं । अतः इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अन्तगर्त हस्तान्तरण किया जा रहा हैं।

2. आप से अनुराध हैं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही कर प्रार्थी को सीधे सूचनाए उपल्बध कराई जाये और इसकी प्रतिलिपि इस प्रभाग को भी उपलब्ध कराई जाये ।

3. आवेदक ने 10 रूपये निर्धारित शुल्क का भुगतान इस मंत्रालय की रसीद सं0 26867 दिनांक 17.09.2013 द्वारा कर दिया हैं ।

संलग्नक : उपरोक्त

(संजय अग्रवाल)
निदेशक एवं सी0पी0आई0ओ0
दूरभाष : 23438154

श्री गौतम धोष,
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी,
(डी0एम0–I), एन.डी.सी.सी.II भवन,
नई दिल्ली–110001

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :

1. श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आरटीआई), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, के कार्यालय यू.ओ. स.ए. 43020/01/2013–आर0टी0आई0 दिनांक 22.10.2013 के संदर्भ में।
2. श्री देवी प्रसाद नन्द, 5/169, बी–32, प्रेम विहार, खण्ड बरौला जाफराबाद,जिला अलीगढ–202001 उतर प्रदेश के आवेदन दिनांक 12.11.2013 के संदर्भ मे ।

AD(DM-I)
22/11

(संजय अग्रवाल)
निदेशक एवं सी0पी0आई0ओ0
दूरभाष : 23438154

प्रपत्र - 5 (आरटीआई) (12)

जो कहो वही करो! | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत | जो करो वही कहो!!

MAP

मौलिक अधिकार पार्टी
MAULIK ADHIKAR PARTY

563

केन्द्रीय कार्यालय : बिरौली, मोतीनगर, फैजाबाद (उ0प्र0) 224 201
फोन :-9236540134, 9235275870, 9719379730, 9897453325

जे.पी. शास्त्री
संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष

डा0 आर.सी. श्रीवास्तव
राष्ट्रीय महासचिव

पत्रांक : ....

दिनांक : 12-11-2013

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत आवेदक

सेवा में भारत सरकार गृह मन्त्रालय (डी० एम० प्रभाग)
मा० संजय अग्रवाल निदेशक एवं सी०पी० आई० ओ०
दूरभाष: 23438154

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:
श्री एस सामंत अवर सचिव (आरटीआई) भारत सरकार
गृह मंत्रालय नार्थ ब्लाक के कार्यालय पृ:ओ. सं:ए 43020/01/2013
- आर० टी० आई

आवेदक - देवीप्रसाद नागवन्शी अभिनन्द राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी कैम्प कार्यालय 5/169 बी 32 प्रेम विहार खन्दबरौला जाफराबाद ~~खन्द~~ अलीगढ़ / जनपद अलीगढ़ 202001 (U०P)

आपके सं० 39/15/2013-डी०ए०एम III RTI/1783
भारत सरकार गृह मंत्रालय (डी०एम प्रभाग)
प्रतिलिपि
और दिनांक 12-7-2013 साथ नत्थी है

26 | Hindi | DM-III
20.11.2013

बी विंग तृतीय तल एन डी सी सी II भवन जयसिंह रोड नई दिल्ली-110001

देवीप्रसाद नागवन्शी अभिनन्द राष्ट्रीय
उपाध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी
कैम्प कार्यालय 5/169 बी 32 प्रेम विहार खन्द बरौला
जाफराबाद अलीगढ़ जनपद अलीगढ़ (U.P)

19.11.13
US
Pl. transfer to DS (DM-I)
19/11/13
DCG

Speed Post
(13)

सं0.39/15/2013-डी0एम0.III-RTI / 1783

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(डी0एम0 प्रभाग)

***

बी विंग, ततीय तल, एन,डीसीसी-II भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 24.10.2013

सेवा में,

श्री देवी प्रसाद नन्द,
5/169, बी–32, प्रेम विहार,
खण्ड बरौला जाफराबाद,
जिला अलीगढ–202001
उतर प्रदेश ।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2013 का संदर्भ लें। इस संदर्भ में मुझे कहना है कि आपका पूर्व पत्र दिनांक 12.07.2013 जिसमे आप द्वारा सूचनाएं मांगी हैं इस प्रभाग में प्राप्त नही है । अतः निवेदन हैं कि उक्त आवेदन पत्र **दिनांक 12.07.2013** की प्रतिलिपि इस प्रभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
निदेशक एवं
सी0पी0आई0ओ0
दूरभाष : 23438154

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :

श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आरटीआई), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, के कार्यालय यू.ओ. सं.ए.43020/01/2013–आर0टी0आई0 दिनांक 22.10.2013 के संदर्भ में।

(संजय अग्रवाल)
निदेशक एवं
सी0पी0आई0ओ0
दूरभाष : 23433154

जो कहो वही करो!　　भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत　　जो करो वही कहो!!

माप/MAP

मौलिक अधिकार पार्टी
MAULIK ADHIKAR PARTY

केन्द्रीय कार्यालय : विरौली, मोतीनगर, फैजाबाद (उ0प्र0) 224 201
फोन :-9236540134, 9235275870, 9719379730, 9897153325

जे.पी. शास्त्री
संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष

डा0 आर.सी. श्रीवास्तव
राष्ट्रीय महासचिव

पत्रांक : ....　　दिनांक : ....

पत्रांकः माप/प्राकृतिक आपदा/07/13　　दिनांकः 12.07.2013

प्रतिष्ठा में,
　महामहिम प्रणब मुखर्जी
　राष्ट्राध्यक्ष भारत सरकार,
　नई दिल्ली-110001

विषयः <u>उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में ।</u>

महामहिम,

भारत की प्राकृतिक संरचना विश्व में अद्वितीय है। देश समुद्र, पहाड़, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जंगल, नदियों, सभी प्रकार की फसलों, फलों-फूलों, औषधियों और खनिजों से सम्पन्न है जिसके लिये दुनिया के देश तरसते है। फिर भी यहां मानव, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु बेहाल है। आप जैसे प्रबुद्ध राष्ट्राध्यक्ष के लिये यह चिन्तन का विषय है तथा हमारी अपेक्षा आपसे है कि आप अधिकार सम्पन्न है क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, प्रजातंत्र के चारों स्तम्भों को दिशा-निर्देश दे सकते हैं। ऐसी अपेक्षा के साथ कतिपय बिन्दुओं पर हम आपसे निवेदन करते हैं:-

भारत में सात धर्मों को संवैधानिक मान्यता मिली है। भले ही सभी धर्मों के दर्शन एवं साहित्य वैज्ञानिक मान्यताओं के मध्य विरोधाभास है परन्तु अधिकांश लोग आस्था सम्पन्न है जिसका प्रतिफल मानवता के मध्य उथल पुथल मचा देता है जिससे मानव जीवन एवं विभिन्न प्राणियों पर घोर संकट आ जाता है। विज्ञान जिन मान्यता को स्वीकार कर लेता है दुनिया के वैज्ञानिक भले ही विभिन्न धर्मावलम्बी हो वे उसे पूर्णतः स्वीकार कर लेते हैं लेकिन धार्मिक मान्यताओं में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है।

जून माह में उत्तराखण्ड में आई प्राकृतिक आपदा मानव की देन है। सन् 1952 से उत्तराखण्ड में हो रहे विकास की देन है। मानव जितना प्राकृतिक संरचना से छेडछाड कर भौतिक संरचना को बढावा देगा उतने ही संकट की परत दर परत को उखाड़ देगा। प्राकृतिक संरचनाओं के मूल स्वरूप से छेड़छाड को प्रतिबन्धित करना मानव के सुख और समृद्धि को बढावा देना होगा।

पहाड़, पठार एवं मैदानों में नदियों की प्रलयकारी बाढ़ आये दिन देश में तबाही मचा रही है क्योंकि नदियों पर बने बांध, बड़ी नदियों के पानी की संवाहक छोटी-छोटी नदियों का उथला हो

केन्द्रीय कार्यालय : विरौली, मोतीनगर, फैजाबाद (उ0प्र0) 224 201

फोन :-9236540134, 9235275870, 9719379730, 9897553325

जे.पी. शास्त्री
संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष

डा0 आर.सी. श्रीवास्तव
राष्ट्रीय महासचिव

पत्रांक : ....

दिनांक : ....

जाना तथा उनका टेढा मेढा स्वरूप जिसे संवारने का कार्य शासन ने नहीं किया। महामहिम ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था कि गंगा जैसी नदी के रूख को खुदाई करके आधा पानी राजस्थान की ओर मोड़ दिया जाय तो राजस्थान भी हरा-भरा हो जायेगा तथा उत्तर भारत प्रलयकारी बाढ़ की तबाही से हमेशा-हमेशा के लिये मुक्त हो जायेगा।

आज विकास के नाम पर कई गलियायें की सड़कें, उन पर बने ओवरब्रिज, शहरों में मंजिल दर मंजिल बन रहे मकान, निकट भविष्य में मानवता के लिये कलंक साबित होंगे। अगर भारत सरकार ने देश को खोल दो की नीति बनायी होती (अर्थात नदियों पर पुल) तो चारों दिशाओं में आवागमन में आने वाली बाधायें समाप्त हो जाती। सैन्धव सभ्यता में मोहन जोदडों नगर राजसत्ता का केन्द्र था तथा हडप्पा नगर व्यापारिक केन्द्र था लेकिन आज शासन प्रशासन एवं औद्योगिक क्रियाकलाप नगरीय जीवन को दुखमय बना रखा है। इसका अहसास भले आपको न हो लेकिन जन साधारण ऐसी दुर्दशा का सजीव वर्णन कर सकता है।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके प्रशासनिक एवं न्यायिक गतिविधियां विकास खण्ड स्तर तक तथा उद्योग धन्धे ग्रामीण अंचलों में कच्चा माल प्राप्ति के स्थानों तक स्थापित करने की नीति का अनुसरण भारत सरकार करे तो मानव जीवन के संरक्षण की ऊँचाइयों को निश्चित रूप से हम छू सकते।

उत्तराखण्ड में जो कुछ हुआ प्राकृतिक प्रकोप के साथ मानव भी भागीदार रहा है क्योंकि उसने प्रकृति के साथ निश्चित रूप से खिलवाड किया जिसकी पुनरावृत्ति न होने पाये इसके लिए सतर्क रहना होगा।

उत्तराखण्ड में हुई मौतों पर मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के बयान में क्रमशः एक दस का अनुपात है। इसकी जांच करवाना नितांत आवश्यक है क्योंकि राजतंत्र में राजा एवं प्रजातंत्र में अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ होता है ऐसी स्थिति में यदि जांच में मुख्यमंत्री की बात सही तो उसे प्रशंसा पत्र मिले और यदि नहीं तो उसे पदच्युत किया जाये। जिसके लिये आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

<u>सही आंकडा का पता कैसे चलें ?</u>

देश की सभी ग्राम सभाओं के मुखिया/प्रधान/अध्यक्ष तथा नगरों के सभी वार्डो के सभासदों एवं समस्त जिला पंचायत अध्यक्षों एवं नगर पालिका अध्यक्षों को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार आदेशित करे कि उनकी ग्रामसभाओं एवं वार्डो से कितने लोग तीर्थ यात्रा पर गये थे कितने वापस आये। इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर मंगवा करके उत्तराखण्ड में गये श्रद्धालुओं

16

माप/MAP

मौलिक अधिकार पार्टी

MAULIK ADHIKAR PARTY

केन्द्रीय कार्यालय : विरौली, मोतीनगर, फैजाबाद (उ0प्र0) 224 201
फोन :-9236540134, 9235275870, 9719379730, 9897453325

जे.पी. शास्त्री
संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष

डा0 आर.सी. श्रीवास्तव
राष्ट्रीय महासचिव

पत्रांक : .... दिनांक : ....

का सही आंकडा मिल जायेगा। तब अहेतुक सहायता राशि निश्चित रूप से मृतक आश्रितों को मिल सकती है अन्यथा बंदरबांट हो जायेगा।

संकट ग्रस्तता का लाभ उठाने वाले लोगों की पहचान करायी जाय जैसे अखबारें छप रहा था किसी ने रू. 500/- , किसी ने रू. 200/- किसी ने रू. 100/- में रोटिया खरीद कर खायी। किसी ने मृतक एवं बेहाल लोगों के पैर हाथ काटकर जेबरात उतारे। ऐसा घृणित कार्य मानवता के लिये ही नहीं उत्तराखण्ड सरकार के माथे पर लगा कलंक है।

गाथा गाना तो वैसा होगा जैसे उ0प्र0 में प्रचलित आलहा वावनगढ की लडाई है ऐतिहासिक तथ्यों से परे है।

इस आशा एवं विश्वास के साथ मृतकों की संख्या एवं प्रदत्त अहेतुक राशि को सच्ची जानकारी मिल जायेगी।

भवदीय
देवी प्रसाद नन्द
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 12-7-2
(देवीप्रसाद नन्द)
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं
दिल्ली प्रभारी
मौलिक अधिकार पार्टी
मो.नं. 9897453325

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मा0 जे0पी0शास्त्री, संस्थापक अध्यक्ष्य।
3. पूर्व विधायक, धामूराम आस्कर, अध्यक्ष उ0प्र0 ।

देवी प्रसाद नन्द 12-7-20
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
(देवीप्रसाद नन्द)
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं
दिल्ली प्रभारी
मौलिक अधिकार पार्टी
मो.नं. 9897453325

To be issued in Hindi

RTI MATTER/ TIME BOUND

No. A. 43020/01/2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs
******

New Delhi, Dated the 25th Sept. 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Information sought by Shri Devi Prasad Nand under the Right to Information, Act 2005.

******

The undersigned is directed to refer to the application dated 08/09/2013 under RTI Act, 2005 of Shri Devi Prasad Nand (received in this Ministry on 13/09/2013) wherein he has sought information about action taken on his complaint dated 12/07/2013 forwarded by President's Secretariat to Home Secretary vide their letter No. PI/E/2307130161 dated 23/07/2013.

2. As per the records of the Office of the Central Registry of this Ministry, the President's Secretariat letter No. PI/E/ 2307130161 dated 23/07/2013 was received in their office and was sent to Joint Secretary (DM) on 23/07/2013. In view of this, the RTI application of Shri Devi Prasad Nand is being forwarded to JS (DM) for taking necessary action.

3. The application fee of Rs.10/- has been received in this Ministry vide Receipt No. 26867 dated 17/09/2013, copy of which is enclosed.

Encl: As above

(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India

29/RTI/DM-III
30.09.2013

To

Joint Secretary (DM.)
Ministry of Home Affairs,
NDCC-II Bhavan,
Jai Singh Road,
New Delhi

Copy for information to:-

Shri Devi Prasad Nand,
5/169, B-32, Prem Vihar,
Khand Baraula Jafarabad,
District Aligarh-202001
Uttar Pradesh

(He is requested to contact the above mentioned Public Authority/ CPIO for further information in the matter)

...MATTER/TIME BOUND

RTI MATTER/TIME BOUND

...Affairs
...ection)

Ministry of Home Affairs
(RTI Section)
****

Subject: Application of Shri/Smt/Ms देवी प्रसाद नन्द ....under the Right to Information Act, 2005 – movement of letter(s) regarding.

*****

5951/RTI/2013
24/9/13

JS(DM)

The RTI Section has received a letter/an application under RTI Act, 2005 dated 08/09/2013 (copy enclosed) from Shri/Smt/Kum. देवी प्रसाद नन्द .... wherein he/she has requested for details of action taken on his/her letter/petition dated / /201 , which was forwarded by the President's Secretariat/~~Prime Minister's Office~~ /............................ to the ~~Home Minister~~/Home Secretary vide their letter No. P1/E/23071301 61........ dated 23/07/2013.

2. As RTI Section is not aware of the movement of the letter No. P1/E/23071301 61............................ dated 23/07/2013 sent by the President's Secretariat/Prime Minister's Office /............................, CR Section is requested to kindly check the movement of the letter, if received by them and to indicate to whom it was sent.

3. The assistance of CR Section is being sought in terms of sub-sections (4) & (5) of Section 5 of the RTI Act, 2005 which is as under :

(4) The Central Public Information officer or State Public Information officer as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.

(5) Any officer, whose assistance has been sought under sub-section (4), shall render all assistance to the CPIO or State PIO, as the case may be seeking his or her assistance and for the purpose of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a CPIO or State PIO, as the case may be.

CR Section
This letter has been received in this Section vide dy No. 3555 dt. 14-08-2013 and sent to JS(DM) on this day.
Information may be accepted

4. This may be treated as Urgent.

Encl: As above.

20.9

S.O.(CR)

(Section Officer)

To
S.O. RTI, MHA, New Delhi

CR Section, MHA, North Block.
MHA U.O. No. A.43020/ 01 /2013-RTI dated 19 / 9 /2013.

जो कहो वही करो!   भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत   जो करो वही कहो!!

माप./MAP

मौलिक अधिकार पार्टी
MAULIK ADHIKAR PARTY

केन्द्रीय कार्यालय : बिरौली, मोतीनगर, फैजाबाद (उ0प्र0) 224 201

फोन :- 9236540134, 9235275870, 9719379730, 9897453325

जे.पी. शास्त्री
संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष

डा0 आर.सी. श्रीवास्तव
राष्ट्रीय महासचिव

पत्रांक : माप/2013-14/गृह मंत्रालय   दिनांक ..09.13

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
13 SEP 2013
क्र.सं. 1188
C.F. No

सेवा में,
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली।

5607/RTI/2013
18.09.13

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 के अन्तर्गत आवेदन।

कृपया सूचना के अधिकार के तहत निम्न सूचनायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें:-

(i) मेरे द्वारा एक आवेदन दि० 12.7.2013 को भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया था जिसे राष्ट्रपति के अवर सचिव ने पत्र सं० P1/E/2307130161 दि० 23.7.13 के द्वारा (त्वरित सन्दर्भ के लिए पत्र की प्रति संलग्न) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को भेजा गया था, पर संबंधित अधिकारी द्वारा उस पत्र पर आज तक की गई कार्यवाही की पूर्ण प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

CR
HS

(ii) मेरे पत्र पर कार्यवाही के लिए नियुक्त अधिकारी का नाम, पदनाम से अवगत कराने की व्यवस्था करें।

कृपया वांछित सूचना राजभाषा में 'उपलब्ध' करायें।

अधिनियम में निर्धारित शुल्क Rs10/- का IPO संलग्न है।

15 70516   भवदीय
[illegible]
10.9.2013
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
मौलिक अधिकार पार्टी
5/169, बी-32, प्रेम विहार
खण्ड 'बरौली' [illegible]
जिला-अलीगढ़-202001
उ०प्र०

(3)
20

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

सं. /No. 26867

दिनांक
Dated 17/09/2013

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km.

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ
with Letter No./Reference No. .... के दिनांक Dated ....20........

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. 26F 157051

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash ....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्यक्षर/Initials

रूपये / *Rs.* 10/—

पदनाम / Designation

Sl. No. 7 (1)

स्पीड पोस्ट द्वा
आर.टी. आई. मामला 21

संख्या.40-14/2013-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-।। भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

श्री देवी प्रसाद नॉगवन्शी ऊर्फ नन्द,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी,
केम्प कार्यालय 5/169, बी-32,
प्रेम विहार खण्ड बरौला,
जाफराबाद, अलीगढ़-202001,
उत्तर प्रदेश

16 DEC 2013

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 22.11.13 को प्राप्त अपने दिनांक 12.11.13 के आर.टी.आई आवेदन जो कि डी एम.-।।। अनुभाग, डी.एम.प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अंतरित किया गया है, का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है।

2. उक्त सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि मांगी गई सूचनाएं इस विभाग से संबंधित नहीं है। क्योंकि मांगी गई सूचनाओं का संबंध उत्तराखंड सरकार से है। अतः आवेदन को उत्तराखंड सरकार को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि उचित जानकारी हेतु आप सीधे उर्पयुक्त विभाग से संपर्क स्थापित करें।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.-।। भवन,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

गौतम घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम)
टेलीफोन-23438123

प्रतिलिपि संलग्नको सहित निम्नलिखित को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, 4 सुभाष रोड देहरादून	उक्त आवदेक के आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई कर प्रार्थी को सीधे सूचना उपलब्ध कराये और उसकी एक प्रतिलिपि इस मंत्रालय मंत्रालय को भी भेजने का श्रम करें

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतुः-

एन.डी.एम.-।।। अनुभाग, (श्री संजय अग्रवाल, निदेशक एवं सी.पी.आई.ओ.) डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या 39/15/2013-डी.एम-।।।-आर.टी. आई. दिनांक 22.11.13)।